रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228573
CG-DL-E-30072021-228573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
No. 415] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SRAVANA 7, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 513(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 2015 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्त :-

"2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**, — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,-

(क) अनुभाग अधिकारी/न्यायालय अधिकारी पद से सम्बंधित क्रम संख्या 1 के सामने, -

(i) स्तंभ 4 में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएँगी, अर्थात :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर 8 (47600 - 151100 रु.) और स्तर 8 में चार वर्ष की नियमित सेवा के पूरा होने पर स्तर 10 (56100 – 177500 रु.) में अकृत्यिक ग्रेड प्रदान किया जायेगा";

(ii) स्तंभ (11) में, —

(अ) प्रोन्नति उपशीर्ष के नीचे, —

(क) मद (i) में, "वेतन बैंड-2, 9300 – 34800 रु. के साथ 4600 रु. का ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 – 142400 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ग) मद (ii) में, "वेतन बैंड-2, 9300 – 34800 रु. के साथ 4600 रु. का ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 – 142400 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) प्रतिनियुक्ति या आमेलन उपशीर्ष के नीचे,-

(क) मद (क) में, उप-मद (ii) में, "वेतन बैंड-2, 9300 – 34800 रु. के साथ 4600 रु. का ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 – 142400 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(ख) सहायक पद से सम्बंधित क्रम संख्या 2 के सामने, —

(i) स्तंभ (1) में, "सहायक" शब्दो के स्थान पर, "सहायक अनुभाग अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएँगी, अर्थात :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर 7 (44900 – 142400 रु.)";

(iii) स्तंभ (11) में टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ग) अभीक्षक पद से सम्बंधित क्रम संख्या 3 के सामने, —

IndiaCode

(i) स्तंभ 4 में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएँगी, अर्थात :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर 6 (35400 – 112400 रु.)";

(ii) स्तंभ (11) में,-

(क) "वेतन बैंड-1 के साथ 2400 रु. का ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500 – 81100 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(घ) उच्च श्रेणी लिपिक पद से सम्बंधित क्रम संख्या 4 के सामने, —

(i) स्तंभ (1) में, "उच्च श्रेणी लिपिक" शब्दो के स्थान पर, "वरिष्ठ सहायक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएँगी, अर्थात :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर 4 (25500 – 81100 रु.)";

(iii) स्तंभ (11) में, —

(क) "वेतन बैंड-1 के साथ 1900/- रु. का ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900 – 63200 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) प्रोन्नति उपशीर्ष के नीचे टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ग) प्रतिनियुक्ति उपशीर्ष के नीचे टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ङ) अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टंकक पद से सम्बंधित क्रम संख्या 5 के सामने, —

(i) स्तंभ (1) में, "अवर श्रेणी लिपिक" शब्दो के स्थान पर, "कनिष्ठ सहायक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएँगी, अर्थात :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर 2 (19900 – 63200 रु.)";

IndiaCode

(iii) स्तंभ (11) में, —

(क) मद (i) में "1800/- रु. का ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000 – 56900 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण उपशीर्ष के नीचे, मद (ii) में, "1800 रु. का ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000 – 56900 रु.)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[ए-12011/2/2011-ए. टी.]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 358(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

G.S.R. 513(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 read with sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Group 'B' and Group 'C' Miscellaneous Posts) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'B' and Group 'C' Miscellaneous Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Group 'B' and Group 'C' Miscellaneous Posts) Recruitment Rules, 2015, (hereinafter referred as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix**.— The number of said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the Schedule, —

(a) against serial number 1, relating to the post of Section Officer or Court Officer, —

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 8 (Rs. 47600 - 151100) and on completion of four years regular service in the Level 8 granted non-functional grade in Level 10 (Rs. 56100 - 177500)";

(ii) in column (11), —

(A) under the sub-heading Promotion, —

(a) in item (i), for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures and letters "Level 7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(c) in item (ii), for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade gay of Rs. 4600", the words, figures and letters "Level 7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) under the sub-heading Deputation or Absorption,-

(x) in item (a), in sub-item (ii), for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures and letters "Level 7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(y) Note 3 shall be omitted.

(b) against serial number 2, relating to the post of Assistant, —

(i) in column (1), for the words "Assistant", the words "Assistant Section Officer" shall be substituted;

(ii) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 7 (Rs. 44900 - 142400)";

(iii) in column (11), Note 2 shall be omitted;

(c) against serial number 3, relating to the post of Caretaker, —

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 6 (Rs. 35400 - 112400)";

(ii) in column (11), —

(A) for the words, figures and letters "pay band-1 with grade pay of Rs. 2400", the words, figures and letters "Level 4 (Rs. 25500 – 81100) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) Note 3 shall be omitted;

(d) against serial number 4, relating to the post of Upper Division Clerk, —

(i) in column (1), for the words "Upper Division Clerk", the words "Senior Assistant" shall be substituted;

(ii) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

IndiaCode

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 4 (Rs. 25500 - 81100)";

(iii) in column (11),-

(A) for the words, figures and letters "pay band-1 with grade pay of Rs. 1900/-", the words, figures and letters "Level 2 (Rs. 19900 – 63200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) under the sub-heading Promotion, Note 2 shall be omitted;

(C) under the sub-heading Deputation, Note 2 shall be omitted;

(e) against serial number 5, relating to the post of Lower Division Clerk and Hindi Typist, —

(i) in column (1), for the words "Lower Division Clerk", the words "Junior Assistant" shall be substituted;

(ii) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 2 (Rs. 19900 - 63200)";

(iii) in column (11),

(A) in item (i), for the words, figures and letters "grade pay of Rs. 1800/-", the words, figures and letters "Level 1 (Rs. 18000 – 56900) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) under the sub-heading Note, in item (ii), for the words, figures and letters "grade pay of Rs. 1800", the words, figures and letters "Level 1 (Rs. 18000 – 56900) in the Pay Matrix" shall be substituted.

[F. No. A-12011/2/2011-AT]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 358 (E), dated the 30th April, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.07.30 12:27:14 +05'30'